फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

श्रीकरनदास बनाम नायब तहसीलदार, श्रीगंगानगर

जीतपाल [illegible] अपील पंचायत प्रकरण सं0 /3/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
26.02.2021	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अपीलार्थी को नायब तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा नोटिस प्रकरण क्रमांकःएन.टी./2021/60 जिसकी रूह से चक 15 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक की 0.025 हेक्टर राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त के सम्बन्ध में नोटिस देकर नाजायज कब्जा हटाने का जो आदेश जारी किया गया है वह प्रथमदृष्टया अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि अपीलार्थी के कथनानुसार कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है रास्ते की जगह खाली है तथा रास्ता आज भी चल रहा है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक मौका की यथास्थिति बनाये रखें। अधिवक्ता अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। रेस्पोडेन्ट एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.03.2021 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	[illegible]
18/3/21	अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते रिकॉर्ड तलबी दिनांक 20/4/21 को पेश हो।	
20/4/21	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ [illegible] कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 19/5/21 को पेश हो।	
19/5/21	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ कोरोना महामारी कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 5/7/21 को पेश हो।	
5/7/21	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ कोरोना महामारी कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 3/8/21 को पेश हो।	

23/12/2025 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपील नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः—एन.टी./2021/60 दिनांक 15.02.2021 जिसकी रूह से चक 15 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक की 0.025 हेक्टर राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त के सम्बन्ध में जारी किया गया के विरूद्व पेश की गई थी। उक्त नोटिस वित्तिय वर्ष 2021 के राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त के लिए जारी किया गया था। उक्त वित्तिय वर्ष 2021 हेतु जारी नोटिस पर की कार्यवाही अब समाप्त हो चुकी है। अतः अपील का निस्तारण गुणदोष के आधार पर कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः—एन.टी./2021/60 दिनांक 15.02.2021 जिसकी रूह से चक 15 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक की 0.025 हेक्टर राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त के सम्बन्ध में जारी किया गया था। अब उक्त वित्तिय वर्ष समाप्त हो चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। उक्त अपील नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः—एन.टी./2021/60 दिनांक 15.02.2021 जिसकी रूह से चक 15 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक की 0.025 हेक्टर राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त के सम्बन्ध में जारी किया गया के विरूद्व पेश की गई है। उक्त नोटिस वित्तिय वर्ष 2021 में की गई नाजायज काश्त के लिए जारी किया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उक्त अपील निष्प्रभावी होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।